

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-02

देहरादून, दिनांक 24 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सैक्टर बांध बैराज के निर्माण एवं आधुनिकीकरण मद के कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-497/प्र0अ0/सिंचाई/नि0अनु0/पी-27 (राज्य सैक्टर), दिनांक 31.01.2020 एवं पत्र संख्या-384/प्र0अ0/सिंचाई/नि0अनु0/पी-27 (राज्य सैक्टर), दिनांक 29.01.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर बांध बैराज के निर्माण एवं आधुनिकीकरण मद के अन्तर्गत निम्न योजना के प्राक्कलन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत कुल लागत ₹ 391.08 लाख (रूपये तीन करोड़ इक्यानवे लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रथम किस्त के रूप में ₹ 156.43 लाख (रु० एक करोड़ छप्पन लाख तैंतालिस हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	योजना का नाम	लागत	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	Project for renovation of Phika Barrage at Tumaria & Tumaria extention dam, block Jaspur, District Udham Singh Nagar.	391.08	156.43

(रु० एक करोड़ छप्पन लाख तैंतालिस हजार मात्र)

- सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कहीं आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
- धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित न हो। अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किया जाय।
- सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।

- (vi) कार्यो की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
- (vii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
- (viii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- (ix) शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (x) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि०-31.03.2021 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (xi) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाये।
- (xii) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (xiii) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-292/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31.3.2020, शासनादेश संख्या-370/09(150)-2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 29 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या-495/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 29.6.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

2— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत व्यय-18-बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार-001-निदेशन तथा प्रशासन-02-अन्य रखरखाव व्यय-01-बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/नहर/नलकूप/जलटंकी पुनरोद्धार-53-वृहद निर्माण मद के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०- 108/XXVII(2)/2021, दिनांक 18 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
/ (उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या-225(1)/II(02)/2021-04(01)/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
/ (दिनेश सिंह बड़वाल)
अनु सचिव।